

न्यायालयश्रीमानराजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

दिनांक - 21-1-16

श्रीहरिशंकर मिश्रा उम्र 73 वर्ष स्व0 श्रीसीताराम मिश्रा निवासी वार्ड नं016 पो0हरिजनबस्ती कृपालपुर तह0रघुराजनगर जिला सतना।.....आवे0

बनाम


1. श्रीरामेश्वर प्रसाद मिश्रा उम्र 56 वर्ष तनय स्व0 श्रीरामचन्द्र मिश्रा निवासी वार्ड नं0 16 पो0हरिजनबस्ती कृपालपुर तह0रघुराजनगर जिला सतना।
2. श्रीविष्णु प्रसाद मिश्रा उम्र 70 वर्ष तनय स्व0 श्रीरामचन्द्र मिश्रा निवासी रेल्वे फाटक के पास स्वामी चौराहा मुख्यांगज सतना।
3. श्रीमाधव प्रसाद मिश्रा उम्र 69 वर्ष तनय स्व0 श्रीसीताराम मिश्रा निवासी वार्ड नं016पो0हरिजनबस्ती कृपालपुर तह0रघुराजनगर जिला सतना
4. श्रीहरिशरणानन्द मिश्रा उम्र 66 वर्ष स्व0 श्रीसीताराम मिश्रा निवासी वार्ड नं016पो0हरिजनबस्तीकृपालपुर तह0रघुराजनगर जिला सतना.....अनावेदकगण।


निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान्
अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर
प्रकरण क्र0 4/पुर्नविलोकन/2015-16
आदेश दिनांक 30.11.2015 बावत्
दिये जाने अनुमति पुर्नविलोकन आदेश
तहसीलदार दि016.10.15 निगरानी
अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.संहिता।

श्री कृष्ण सिंह कुशवाह, को

द्वारा आज दि 21-1-16 को

प्रस्तुत


 क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-1-16
 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


 21-1-16

मान्यवर,

आवेदक निम्न अनुसार निगरानी प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि अनावेदक क्र0 1 ने तहसीलदार रघुराजनगर के न्यायालय में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 115 116 भू.रा.संहिता के अन्तर्गत पेश किया




न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(9)

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक निगा-221/म/16/21/19
श्री हरिशंकर / श्री राजेश्वर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2/1/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>श्री हरिशंकर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>श्री राजेश्वर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>04/पुनः/114-15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>30-11-15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>म.प्र.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>म.प्र.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

